सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 74/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :—01.04.2025

GCMS ID-2025/67

बउनवान

1. रईसा पत्नी स्व0 इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
2. इस्लामुद्दीन आ0 इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
3. इकबाल आ0 इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
4. अफजल आ0 इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
5. जईरन पुत्री इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
6. जरीना पुत्री इशहाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. फारूक पुत्र अलाद्दीन जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
2. फजलू पुत्र अलाद्दीन जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
3. फिरोज पुत्र अलाद्दीन जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
4. आरिफ पुत्र अलाद्दीन जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
5. शबीना पुत्री अलाद्दीन जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
6. खलील पुत्र अवास जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
7. छोटा पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
8. रसीदा पुत्री इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली, बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थी :— स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :— 28/11/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 290 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 292 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 0.3318 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0. 7689 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव प0मं0 तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के सहखातेदार अलाद्दीन पुत्र नसीरखां व फकरू पुत्र इब्राहीम, बतूल पत्नी नसीरखां एवं सद्दीक पुत्र अवास का स्वर्गवास हो गया है, जिनका फोती नामान्तकरण अभी दर्ज नहीं हुआ है। मृतक अलादीन के वारिस अप्रार्थी संख्या 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ायत 5 है। मृतक बतूल के वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नसीरखां जी से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। नसीर खां के परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। नसीर खां जी के छोटा नाम का कोई पुत्र नहीं है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदार नसीर खां के परिवा के सदस्य नहीं है। प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम छोटा पुत्र नसीर खां नहीं होकर इशहाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां है। राज्य सरकार द्वारा सभी काश्तकारों की फार्मर आई0डी बनाने व जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करवाने की योजना चल रही है जिसके तहत पटवार मंडल वाईज शिविर भी लगाये जा रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने व उक्त भूमि को उपरोक्त योजना के तहत आधार कार्ड से लिंक करने व फार्मर आई0डी बनाने हेतु दिनांक 12.03.2025 को आवेदन किया लेकिन जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम छोटा पुत्र नसीर खां दर्ज होने व प्रार्थीगण के पहचान के दस्तावेज में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम इशहाक मोहम्मद दर्ज होने से न तो विरासत का नामान्तकरण दर्ज हो रहा है और न ही प्रार्थीगण की फार्मर आई0डी0 बन पाई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण पति/पिता के नाम गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु दिनांक 17.03.2025 को तहसीलदार साहब हिण्डोली से निवेदन किया किन्तु तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने के इंकार कर दिया है। पटवारी द्वारा जमाबंदी में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी दिनांक 12.03.2025 को देने पर प्रथम बार प्रार्थीगण को नाम के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से व तहसीलदार सा0 द्वारा दिनांक 17.03.2025 को न्यायालय के आदेश के बिना गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इंकार कर देने से प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण के सभी पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदी सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम इशहाक मोहम्मद दर्ज है और जमाबंदी में छोटा पुत्र नसीर खां गलत दर्ज हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नसीर खां गलत दर्ज हो रहो है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 12.03.2025 को पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने व फार्मर आई0डी0 के वक्त देने से व दिनांक 17.03.2025 को तहसीलदार साहब द्वारा इन्द्राज करने से इंकार देने से नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 290 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 292 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 0.3318 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0. 7689 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव प0मं0 तालाबगांव की जमाबंदी में खातेदार के रूप में छोटा पुत्र नसीर खां के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां दर्ज करवावे एवं प्रार्थीगण के पति/पिता इश्हाक मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर विरासत में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करवावे। नसीरखां जी के छोटा नाम का कोई पुत्र नहीं है और नसीर खां जी के दो पुत्र अलाद्दीन व इश्हाक मोहम्मद है इसके बावजूद इश्हाक मोहम्मद के बजाये छोटा नाम का इन्द्राज कर दिया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम गलत दर्ज होने से अर्थात प्रार्थीगण के पहचान के समस्त दस्तावेजत में पति/पिता का नाम इश्हाक मोहम्मद होने व जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम छोटा नाम अलग अलग दर्ज होने से प्रार्थीगण न तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है न ही विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवा पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण ने नाम शुद्ध करने हेतु दिनांक 17.03. 2025 को तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया ऐसी स्थिति में उक्त कार्यवाही श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार है। भूमि ग्राम तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 290 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 292 रकबा 0. 2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 0.3318 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.7689 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव प0मं0 तालाबगांव की जमाबंदी में दर्ज छोटा पुत्र नसीर खां के इन्द्राज को दुरूस्त कर इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां दर्ज करने एवं इश्हाक मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से इश्हाक मोहम्मद के हिस्से एवं स्थान पर विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित चरणों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 150, 283, 290, 292, 96 कुल किता 5 कुल रकबा 0.7689 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव की जमाबंदी में अंकित छोटा पुत्र नसीर खां के स्थान पर इश्हाक मोहम्मद आ0 नसीर खां दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2999 दिनांक :–14.10.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम तालाबगांव के खाता संख्या 77 में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम छोटा पुत्र नसीर खां सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज छोटा पुत्र नसीर खां व इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज छोटा पुत्र नसीर खां के स्थान पर पर प्रार्थीगण के पति व पिता का शुद्ध नाम इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता का सही नाम इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, इश्हाक मोहम्मद, रईसा, इस्लामुद्दीन, इकबाल, अफजल, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र इश्हाक मोहम्मद पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का सही नाम इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम तालाबगांव प0मं0 तालाबगांव के खाता संख्या 77 में दर्ज प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम छोटा पुत्र नसीर खां के स्थान पर इश्हाक मोहम्मद पुत्र नसीर खां शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :—28.11.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/11/2025

(अखिलराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज